

**मै0 हरुनाथ माइन्स एण्ड मिनरल्स, ग्राम-अध्याली, तहसील-काण्डा व जनपद-बागेश्वर, द्वारा सोप
स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 16.09.2023 को आयोजित लोक सुनवाई
का कार्यवृत्त।**

मै0 हरुनाथ माइन्स एण्ड मिनरल्स, ग्राम-अध्याली तहसील-काण्डा व जनपद-बागेश्वर उत्तराखण्ड, सोप स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट (6.507 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला (उत्तराखण्ड संस्करण) एव टाइम्स ऑफ इण्डिया (दिल्ली संस्करण) के दि० 08.08.2023 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तदक्रम में जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर की अध्यक्षता में दि० 16.09.2023 को परियोजना स्थल, के समीप ग्राम-अध्याली तहसील-काण्डा व जनपद-बागेश्वर उत्तराखण्ड में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स अर्थ विजन इण्डिया एसोसिएट कन्सलटेंट, 45-46, अपर ग्राउण्ड प्लोर, विनीत खण्ड, गोमती नगर लखनऊ के श्री भरत सिंह रावत द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना एक सोप स्टोन खनन परियोजना है, प्रस्तावित परियोजना का खनन क्षेत्र ग्राम-अध्याली तहसील-काण्डा व जनपद-बागेश्वर उत्तराखण्ड तथा इसका खनन क्षेत्रफल 6.507 है० है। खनन कार्य 6 मीटर ऊंची बैंच बनाकर अर्ध-मशीनीकृत विधि द्वारा किया जायेगा। सतह की मृदा का उपयोग वृक्षारोपण कार्यों में किया जायेगा। खनन कार्य 7.5 मीटर सेप्टी बैरियर छोड़कर किया जायेगा। जहा भी संभव होगा जिला प्रशासन/स्थानीय प्राधिकरण के परामर्श से वृक्षा रोपण का कार्य किया जायेगा। वर्तमान में प्रस्तावित खनन परियोजना क्षेत्र खेतीहर भूमि क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली गैर वन भूमि क्षेत्र है। क्षेत्र की वर्तमान मिट्टी की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए प्रस्तावित परियोजना स्थल एवं आस-पास मिट्टी के नमूने एकत्रित किये गये थे। परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मिट्टी किसी भी प्रदूषणकारी श्रोत से दूषित नहीं है। प्री मानसून सत्र के दौरान पाँच सीनों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी की गयी। प्राप्त परिणामों से संकेत मिलता है कि परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानको के भीतर है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई वन क्षेत्र एवं बस्ती शामिल नहीं है। प्रस्तावित खनन परियोजना किसी भी गांव को स्थानांतरित नहीं करेगा या पुर्नवास की आवश्यकता नहीं होगी। पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों यथा धूल नियंत्रण, पानी का छिड़काव, जल/वायु, ध्वनि स्तर अनुश्रवण, वृक्षारोपण तथा रखरखाव व सीईआर मदों में धन राशि आवंटन के संबंध में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि प्रस्तावित खनन कार्य निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जायेगा। प्रस्तावित खनन से स्थानीय आवादी को रोजगार प्रदान करेगी, परियोजना क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी तदक्रम में जिलाधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्ताव से अपेक्षा की गयी कि प्रस्तावित परियोजना में वृक्षों का रोपण स्थानीय महिलाओं द्वारा किया जाय। जिससे रोजगार प्राप्त होगा तथा पौधों का कय






स्थानीय मनरेगा की नर्सरी से किया जाना सुनिश्चित करें तथा सी0एस0आर0 मद से स्थानीय राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हेतु धन का आवंटन किया जाना चाहिये।


प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।

1. श्री गुलाब राम, ग्रामप्रधान, ग्राम-गरुवासिरमोली तहसील-काण्डा व जनपद-बागेश्वर- श्री गुलाब राम द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुये कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। गांव के पुराने रास्ते व गूलों को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिये। रोजगार में प्राथमिकता स्थानीय ग्राम वासियों को दिया जाना चाहिये तथा पूर्व में क्षेत्र में जो खनन परियोजनाएं संचालित हैं, उनका निरीक्षण भी समय-समय पर किया जाना चाहिये। वर्षा सत्र से पूर्व खनन पिटों को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिये। तदक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रा बोर्ड हल्द्वानी द्वारा अपेक्षा की गयी कि खनन पूर्ण होने के पश्चात् पिटों को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिये तथा भूमि धारी को उचित धनराशि दी जाना चाहिये।
2. श्री दीवान राम, ग्राम-गरुवासिरमोली तहसील-काण्डा व जनपद-बागेश्वर- श्री दीवान राम द्वारा कहा गया कि खनन क्षेत्र व गांव के आस-पास की विद्युत लाईनों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिये। खनन परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
3. श्री कुन्दन सिंह बिष्ट, पट्टाधारक ग्राम-अध्याली तहसील-काण्डा व जनपद-बागेश्वर-श्री कुन्दन सिंह बिष्ट द्वारा सभी का स्वागत किया गया तथा कहा गया कि समस्त ग्राम वासियों के सहयोग एवं सहमति से ही खनन कार्य किया जायेगा। रोजगार में प्राथमिकता स्थानीय ग्राम वासियों को ही दी जायेगी।
4. श्री कौस्तुबानंद चंदौला, ग्राम-अध्याली, तहसील-काण्डा व जनपद-बागेश्वर- श्री चंदौला द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना में सी0एस0आर0 मद के अन्तर्गत मंदिरों के संरक्षण एवं धर्मशाला के निर्माण की व्यवस्था की जानी चाहिये। पट्टाधारक द्वारा समय-समय पर गांव के जन सहयोग में सहभागिता की जानी चाहिये।

अन्य सुझाव/आपत्ति व टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।


(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी।


(अनुराधा पंअल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर।



श्री हरनाथ माइन्स ग्रुप मिनेरल्स (अध्याली सीप स्लोप्यम
परियोजना लिडकल- 6.507 हं) ग्राम- अध्याली, तहसिल-
काण्डा, जिला- वगिखरु. की पर्यावरणीय सुबीकरी हेतु लीक
सुनवाई में उपासिति का कतिवण-

सुनवाई स्थल- ग्राम- अध्याली, तहसिल- काण्डा, वगिखरु
16 सितम्बर- 2022 प्रातः- 11:00 बने।

क्र/सं	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अनुराधा पाल	जिलाधिकारी वगिखरु	
2.	डा० डी० के. जोशी	विशेष भविगारी (उपस्थित नही)	
3.	Bhanot Singh Rawat	पर्यावरण सहायक	
4.	चंद्रबल्लभ जोशी	समुद्र विभाग	
5.	रुपाबी चव्हाण	अध्यक्ष	
6.	सुवर्ण चव्हे	अध्यक्ष	
7.	विमला	अध्यक्ष	
8.	विमला चव्हाण	अध्यक्ष	
9.	सुवर्ण	समुद्र विभाग	
10.	सुवर्ण	समुद्र विभाग	सुवर्ण
11.	सुवर्ण चव्हाण	अध्यक्ष	
12.	चंयल सिंह	अध्यक्ष	
13.	सुवर्ण चव्हाण	अध्यक्ष	
14.	सुवर्ण चव्हाण	अध्यक्ष	
15.	सुवर्ण चव्हाण	अध्यक्ष	
16.	गोपाल राव	समुद्र विभाग	
17.	सुवर्ण चव्हाण	समुद्र विभाग	
18.	सुवर्ण चव्हाण	अध्यक्ष	

	પર	દર્શક
૧૧૧	ગુજરાત	૦૪
૧૧૨	ગુજરાત	૦૪
૧૧૩	ગુજરાત	૦૪
૧૧૪	ગુજરાત	૦૪
૧૧૫	ગુજરાત	૦૪
૧૧૬	ગુજરાત	૦૪
૧૧૭	ગુજરાત	૦૪
૧૧૮	ગુજરાત	૦૪
૧૧૯	ગુજરાત	૦૪
૧૨૦	ગુજરાત	૦૪
૧૨૧	ગુજરાત	૦૪
૧૨૨	ગુજરાત	૦૪
૧૨૩	ગુજરાત	૦૪
૧૨૪	ગુજરાત	૦૪
૧૨૫	ગુજરાત	૦૪
૧૨૬	ગુજરાત	૦૪
૧૨૭	ગુજરાત	૦૪
૧૨૮	ગુજરાત	૦૪
૧૨૯	ગુજરાત	૦૪
૧૩૦	ગુજરાત	૦૪

